प्रेस नोट
दिनांक 08.11.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 15,000/– रूपये का इनामिया, गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–143/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 15,000/– रूपये के इनामिया वांछित अभियुक्त–कोमल कुमार उर्फ मंटू पुत्र फेरू सिंह नि0 हिसावाडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को मोहल्ला राजनगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 23.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक तरबगंज कमलाकान्त त्रिपाठी मय हमराह क्षेत्र में गश्त के दौरान आजादनगर चौराहा पहुंचे, जहाँ जनता से सूचना प्राप्त हुई कि कोमल कुमार उर्फ मंटू पुत्र फेरू सिंह व अमित कुमार पुत्र विजयपाल निवासी जनपद बागपत एक संगठित गिरोह बनाकर गोवध व गोवंश की तस्करी का कार्य करते हैं तथा इनके अपराधों से समाज में भय व आतंक व्याप्त है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें उ0नि0 गौरव सिंह के द्वारा किए गए अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत 15,000/– रूपये के इनामिया गैंगस्टर कोमल कुमार उर्फ मंटू को मोहल्ला राजनगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु गोवध एवं गो तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. कोमल कुमार उर्फ मंटू पुत्र फेरू सिंह नि0 हिसावाडा थाना सिंघावली अहीर जनपदप बागपत।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–143/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 गौरव सिंह।
02. का0 नरेन्द्र सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2025

पुलिस लाइन गोण्डा क्रिकेट ग्राउण्ड में 25वीं अन्तर्जनपदीय, गोरखपुर जोन, क्रिकेट प्रतियोगिता, दो मैचों का हुआ मुकाबला–

गोण्डा। आज दिनांक 08 नवम्बर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित क्रिकेट ग्राउण्ड में गोरखपुर जोन की 25वीं अन्तर्जनपदीय क्रिकेट (पुरुष) प्रतियोगिता–2025 के तहत दो मैचों का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन पहला मैच पूल–बी की टीमों गोरखपुर बनाम महराजगंज के बीच खेला गया, जिसमें गोरखपुर टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। गोरखपुर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 07 विकेट पर 164 रन बनाए, जिसमें अंकित रघुवंशी ने 26 गेंदों में 51 रन की नाबाद शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी महराजगंज टीम 16 ओवर में 06 विकेट खोकर 156 रन ही बना सकी। इस मैच में गोरखपुर टीम के पवन यादव को 'प्लेयर ऑफ द मैच' घोषित किया गया, जिन्होंने 23 गेंदों में 36 रन बनाए, 'बेस्ट बॉलर' महराजगंज टीम के मनीष को घोषित किया गया जिन्होने 04 ओवर में 31 रन देकर 04 विकेट लिए। दूसरा मैच पूल–ए की टीमों देवरिया बनाम सिद्धार्थनगर के बीच हुआ। जिसमें देवरिया टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धार्थनगर टीम ने 16 ओवर में 07 विकेट पर 163 रन बनाए। देवरिया टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 15.1 ओवर में 08 विकेट खोकर 166 रन बनाकर मैच जीत लिया। जिसमें टीम के दुर्गा द्वारा 24 गेन्दो में 58 रन की तुफानी पारी खेली। इस मैच में देवरिया टीम के रामू को 'प्लेयर ऑफ द मैच' एवं 'बेस्ट बॉलर' घोषित किया गया, जिन्होंने 03 ओवर में 31 रन देकर 02 विकेट लिए व 16 बाल पर 36 रन बनाए, बेस्ट बालर सिद्धार्थनगर टीम के सुबोध सिंह को घोषित किया गया जिन्होने 03 ओवर में 23 रन देकर 03 विकेट लिए प्रतियोगिता के दौरान कमेंट्री का संचालन अजय कुमार पाण्डेय व आनन्द कुंवर भट्ट द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने जोशपूर्ण अंदाज़ में खिलाड़ियों व दर्शकों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता का समापन व फाइनल मुकाबला दिनांक 09 नवम्बर 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता एवं उपविजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.11.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–221/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त– सनी सिंह उर्फ रजनीश सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी ठोरहंस महिपतसिंह पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को ग्राम ठोरहंस महिपतसिंह पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक कौड़िया गोविन्द कुमार मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि सूचना मिली कि कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह निवासी सेहरिया थाना वजीरगंज एक शातिर अपराधी है, जो संगठित गिरोह बनाकर हत्या की कोशिश, लूट आदि अपराध करता है। गिरोह के सदस्य अभय सिंह, गुलशन सिंह, सनी सिंह, आशीष सिंह व रंजीत कुमार हैं। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्र0नि0 को0 देहात द्वारा की जा रही थी। जिसमें आज दिनांक 11.08.2025 को को0 देहात की पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर सनी सिंह उर्फ रजनीश सिंह को ग्राम ठोरहंस महिपतसिंह पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सनी सिंह उर्फ रजनीश सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी ठोरहंस महिपतसिंह पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–221/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह
02. व0उ0नि0 कमल शंकर चतुर्वेदी
03. उ0नि0 अक्षय कुमार चौधरी
04. हे0का0 प्रमोद विश्वकर्मा
05. हे0का0 छोटेलाल जायसवाल
06. हे0का0 शैलेन्द्र यादव
07. हे0का0 रमेश यादव
08. का0 जागेश्वर गौड़

मीडिया सेल, गोण्डा।